



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244633  
CG-DL-E-23032023-244633

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]  
No. 169]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

सा.का.नि. 211(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 806(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, तीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पहले, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 07 नवंबर, 2022 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेप या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 19 के उपनियम (1) में,—

(क) खंड (i) में,—

(i) “अन्यथा कथित के सिवाय” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (क) में, “ब्रांड नाम साधारण नाम से 1.5 गुणा आकार से बड़े आकार का नहीं होगा” शब्दों के स्थान पर, “समान प्रमुख ब्रांड नाम और साधारण नाम में दिए जाएंगे” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपखंड (ब) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु क्यूआर कोड समुचित स्थान पर खुदरा पैक (प्राथमिक या द्वितीय पैक, जैसी भी स्थिति हो) के ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां क्यूआर कोड स्कैनिंग उपकरण जैसे मोबाइल फोन से स्कैन करने पर, वेबलिक या लिंक विनिर्माता कंपनी के यूआरएल खोलने के लिए प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता लेबल और पर्ची की संपूर्ण विशिष्ट सूचना प्राप्त करेगा और क्यूआर कोड में कम से कम निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी:

(क) विशिष्ट पहचानकर्ता या जीटीआईएन ;

(ख) बैच संख्या ;

(ग) विनिर्माण की तारीख ;

(घ) अवसान की तारीख ;

(ङ) वेब लिंक या यूआरएल ।

(iv) टिप्पण – 2 में निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“पिक्टोग्राम का आकार केवल अल्ट्रा स्माल पैक के लेबल के संबंध में आधा वर्ग सेंटीमीटर (0.5 सेमी X 0.5 सेमी) होगा”।

(ख) खंड (ii) में, “अन्यथा कथित के सिवाय” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ग) खंड (iii) के उपखंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु अल्ट्रा स्माल पैक के लिए बहुसंख्यक प्राथमिक पैक एक द्वितीय पैक में पैक किये जा सकेंगे और विनिर्माता सुनिश्चित करेगा कि एक द्वितीय पैक में पैक करने से पहले प्रत्येक प्राथमिक पैक के साथ पर्ची और क्यूआर कोड सुरक्षित रूप से संलग्न कर दिया गया है।”

3. उक्त नियम में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु अल्ट्रा स्माल पैक के लिए उक्त वर्ग का आयाम 2.25 वर्ग सेंटीमीटर (1.5 सेमी x 1.5 सेमी) से कम नहीं होगा” ।

4. उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण: उपनियम (1) और उपनियम (3) के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक किसी ऐसे लेबल या पर्ची, जो कीटनाशी (दूसरा संसोधन) नियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार न हो, का उपयोग, कीटनाशी (दूसरा संसोधन) नियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह माह के पश्चात नहीं करेगा ।

(ii) ऐसे लेबल या पर्ची लगे किसी कीटनाशक या इसका पैकेज जोकि कीटनाशी (दूसरा संसोधन) नियम, 2023 के अनुसार न हो, नियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष या उसके अवसान की तारीख जो भी पहले हो, की समाप्ति के पश्चात, वितरित, बेचे, विक्री अथवा भण्डारण हेतु प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, और जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, उक्त अवधि की समाप्ति के बाद यह स्पष्टीकरण अस्तित्व में नहीं रहेगा।

[फा. सं. 13035/33/2019-पीपी-1]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 140 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE****(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2023

**G.S.R. 211(E).**—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 806 (E), dated the 27<sup>th</sup> October, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 07<sup>th</sup> November, 2022;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :-

**1. Short title and commencement:** (1) These Rules may be called the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides rules, 1971 (hereinafter referred as the said rules), in sub-rule (1) of rule 19,-

(a) in clause (i),-

(i) the words “unless stated otherwise” shall be omitted.

(ii) in sub-clause (a) , for the bracket and words “(The Brand name shall not be of bigger size than 1.5 times size of common name)” the words “Equal prominence shall be given to the Brand name and Common name” shall be substituted.

(iii) in sub-clause (w) , after the first proviso, following proviso shall be inserted:

“Provided that QR Code shall be placed on retail pack (Primary or Secondary pack as the case may be) at suitable place where on scanning the QR code by scanning equipment like mobile phone, a web link or link for opening the URL of the Manufacturing company will appear, which on pressing or clicking, will take the user to the entire unique information of label and leaflet and the QR code shall contain at least the following information:

(a) Unique Identifier or GTIN;

(b) Batch Number;

(c) Date of Manufacturing;

(d) Date of Expiry;

(e) Web link or URL.

(iv) in Note II, the following proviso shall be inserted, namely:-

“provided that the size of pictograms shall be half- square centimeter (0.5 cm x 0.5 cm) in respect of labels of ultra-small packs only”.

(b) in clause (ii), the word “unless stated otherwise” shall be omitted.

(c) in clause (iii), in sub-clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that for ultra-small packs, multiple primary packs may be packed in one secondary pack and the manufacturer shall ensure leaflet and QR code be securely attached with each primary pack before packing them in one secondary pack.”

3. In the said rules, after sub-rule (3), following proviso shall be inserted:

“Provided that for ultra-small packs, the dimensions of the said square shall be not less than 2.25 square centimeters (1.5cm x1.5 cm).”

4. After sub-rule (3), the following Explanation shall be inserted, namely:-

**Explanation:** For the purposes sub-rule (1) and sub-rule (3), it is hereby clarified that,-

(i) no registration certificate holder shall use a label or leaflet, which is not in accordance with the provisions of the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2023, after a period of six months from the date of commencement of the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2023.

(ii) no insecticides or its package bearing a label or leaflet, which is not in accordance with the provisions of the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2023, shall be distributed, sold, exhibited for sale or stocked, after expiry of two years from the date of commencement of the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2023 or its expiry date, whichever is earlier and this explanation shall cease to exist after expiry of the said period, unless otherwise directed.

[F. No. 13035/33/2019-PP-I]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19<sup>th</sup> October, 1971 and amended *vide* number G.S.R. 140 (E) dated 28<sup>th</sup> February, 2023.